

**न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं०-२९/२०२१**

कैलाश भर.....वादी
बनाम
सतन भर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<u>DATE</u>	<u>ORDER</u>	<u>REMARKS</u>
17.08.2023	<p>वादी की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 20.05.2023 अंतर्गत आदेश 22 नियम 4 व्यवहार प्रक्रिया संहिता पर सुनवाई एवं आदेश हेतु नियत है।</p> <p style="text-align: center;">आदेश (ORDER)</p> <p>वादी का अपने आवेदन में कहना है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-०२ भोला भर की मृत्यु दिनांक 20.04.2023 को हो गई है तथा प्रस्तुत वाद में मृत प्रतिवादी सं०-०२ भोला भर के विधिक वारिसान के रूप में अपने पीछे अपनी पत्नी मु० चिन्ता तथा एक लडकी सीमा देवी तथा दो नाबालिक लडके सागर कुमार एवं सूर्य कुमार को छोड़कर मरे है। अतः वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं०-०२ भोला भर का नाम कलमजद करने तथा उनके स्थान पर आवेदन में वर्णित उनके विधिक वारिसानो का नाम प्रतिस्थापित करने की कृपा करें। जो प्रस्तुत वाद के आवश्यक पक्षकार है।</p> <p>प्रतिवादीगण की ओर से वादी के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा वादीगण के आवेदन को खारिज योग्य बताया गया।</p> <p>उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद के प्रतिवादी सं०-०२ भोला भर की मृत्यु हो गई है जिसे प्रतिवादीगण भी स्वीकार करते है। प्रस्तुत आवेदन समय सीमा से दाखिल किया गया है। वादी के द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में शपथपत्र दाखिल किया गया है। अतः न्यायहित में वादी का आवेदन स्वीकार किया जाता है तथा कार्यालय लिपिक को निर्देश दिया जाता है कि वह वादपत्र से मृत प्रतिवादी सं०-०२ भोला भर का नाम कलमजद करें तथा मृतक की विधिक वारिसानों का नाम प्रतिस्थापित करें तद्पश्चात वादी की ओर से प्रतिस्थापित प्रतिवादीगणों की</p>	

न्यायालय-नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
बंटवारा वाद सं०-२९/२०२१

कैलाश भर.....वादी
बनाम

सतन भर एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

<p>लगातार 17.08.2023</p>	<p>उपस्थिति हेतु समन की अपेक्षाएँ दाखिल करें। वाद दिनांक 18.09.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत।</p> <p>लेखापित</p> <p>अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज</p>	
------------------------------	--	--